न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2161–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–6–2015 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 94/अपील/2010–11

.....

हृदयराम पुत्र धीरज सिंह

निवासी ग्राम खमरियागंज तहसील गैरतगंज,

जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1– कमलेश कुमार पुत्र बालाराम कुर्मी

निवासी पुलिस थाना के पीछे गैरतगंज तहसील गैरतगंज,

जिला रायसेन म0प्र0

2– मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जिलाधीश रायसेन जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदकगण

– – –

श्री आर0के0जैन, अभिभाषक, आवेदक

श्री नरेन्द्र भार्गव एवं श्री ओ.पी.दुबे, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/16 को पारित)

आवेदक ने यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय गैरतगंज द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 4 पर दिनांक 4–4–1997 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–10–2009 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 16–6–2015 को आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये द्वितीय अपील निरस्त की गई ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील लगभग 12 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर बिना निर्णय लिये गुणदोष पर आदेश पारित किया गया है जो कि अवैधानिक कार्यवाही है । इस संबंध में यह आधार लिया गया है कि पक्षकार द्वारा विलम्ब के संबंध में आपत्ति नहीं उठाये जाने पर भी न्यायालय का यह दायित्व है कि वह सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार करें।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया है जिस पर सहमति स्वरूप उभयपक्ष के हस्ताक्षर भी हैं, अतः सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील न तो प्रस्तुत की जा सकती है और न ही प्रचलन योग्य है ।

(3) सहमति के आधार हुये विभाजन का पंजीकरण आवश्यक नहीं है ।

(4) अनावेदक कमांक 1 द्वारा लगभग 12 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, अतः समय वर्जित अपील को इसी कारण से खारिज किया जाना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं कर गुणदोष पर आदेश पारित करने में अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक पर सूचना पत्र की तामीली होना मानने में विधि की गंभीर भूल की गई है, क्योंकि आवेदक को जारी सूचना पत्र में आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं । उनके द्वारा अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

तर्क के समर्थन में 2009 आर.एन.42, 2009(1)एम.पी.डब्ल्यू.एन. 44, 2007 आर. एन. 359 एवं 2004 आर.एन. 196 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानी में इस न्यायालय को सीमित अधिकार प्राप्त है और केवल वैधानिक बिन्दुओं पर ही विचार किया जा सकता है । इस प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 की स्वअर्जित भूमि है और स्वत्व के प्रश्न के निराकरण का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है, अतः आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय से निराकरण कराना चाहिये। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई थी इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय सीमा में मानते हुये तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत विधिवत् उद्घोषणा का प्रकाशन कराया जाकर फर्द बटांन तैयार कराई जाकर फर्द बटांन पर प्रस्तुत आपत्ति को सुनकर नामान्तरण पंजी पर

बटवारा आदेश पारित किया जाता है, जो कि नामान्तरण पंजी पर संभव नहीं है । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा पारित पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर